

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2009/चैत्र 30, 1931

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 14

No. 57]

DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2009/CHAITRA 30, 1931

[N.C.T.D. No. 14

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य

आयुक्त का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सं फा.3(4)/2009/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/141.—

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल ने दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (2)/19 के माध्यम से दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 को निरस्त किया था।

और, जबकि, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 649(अ), दिनांक 9 मार्च, 2009 के उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा इसके खाद्य पदार्थ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 जारी किया था।

और, जबकि, उपरोक्त आदेश के खण्ड 2, 3 तथा 4 में प्रावधान हैं कि—

2. खरीद, आवागमन बिक्री आपूर्ति वितरण एवं बिक्री के लिए भण्डारण के विषय में, (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) की समाप्ति का आदेश, 2002 में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को कुछ उपभोक्ता पदार्थ

चीनी के लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से चार माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक तथा इनमें जो भी पहले हो स्थगित रखा गया है।

3. इस आदेश में किसी भी उल्लेख से चीनी के राज्य से बाहर परिवहन, वितरण या बिक्री कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही यह आदेश इस उपभोक्ता पदार्थ के आयात पर लागू होगा। उपबंध हैं कि केन्द्र या राज्य सरकार आयातकों को चीनी के स्टॉक प्राप्त करने तथा उनके पास उपलब्ध स्टॉक को घोषित करने का निदेश दे सकती है।
4. विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान भी प्रवृत्त रहेंगे।

इसलिए, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 9 जून, 1978 के खाद्यान्न विभाग भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 संबंधी दिनांक 9 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (2)/19 के आदेश इसके द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस

अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक इस आदेश के जारी होने या केन्द्र सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, स्थगित रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**OFFICE OF THE COMMISSIONER  
FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS  
ORDER**

Delhi, the 20th April, 2009

**No. F. 3 (4)/2009/F&S/P&C/141.**—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi has rescinded the Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 *vide* Order No. F. 3(4)/2002-F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June, 2002;

And whereas the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs *vide* Notification No. S.O. 649(E), dated 9th March, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2009 and its clauses 2, 3 and 4 provide as under :—

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar for a period of four months from the date of

issue of this Order or further Order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of Sugar to places outside the State, nor shall it be applicable to import of this commodity :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2009 for a period of four months from the date of issue of the said Order or further Order of Central Government, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2009/वैशाख 28, 1931 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41  
No. 73] DELHI, MONDAY, MAY 18, 2009/VAISAKHA 28, 1931 [N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का  
कार्यालय  
आदेश

दिल्ली, 18 मई, 2009

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी./162.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश सं. फा. 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी.(1)/21 के द्वारा दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1996 रद्द करते हैं;

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 25 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 नवम्बर, 2008 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी.(1)/2602 के द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) आदेश, 1996 तथा दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसेंसिंग) आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(4)/2002—एफ एवं एस/पी एवं सी(1)/206 का, उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक इसमें जो भी पहले हो, 30 अप्रैल, 2009 की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्न (तीसरा संशोधन) (आदेश),

1870 DG/2009

2008 पर हटाए जाने के उपबंधों की सीमा तक (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) क्रमशः पालन किए जाएंगे;

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 30 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों (द्वितीय संशोधन) हटाए जाने का आदेश, 2009 (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) जारी किया और जबकि उपरोक्त आदेश के खण्ड में निम्नलिखित व्यवस्था है।

2. 27 अगस्त, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 2117(अ) में—

(i) पैरा 2 में "गेहूँ तथा" शब्दों को हटाया जाएगा।

(ii) पैरा 3 में "गेहूँ तथा" शब्दों को हटाया जाएगा।

ऐसे हटाए जाने से पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए हटाई गई वस्तुओं को छोड़कर 1 अप्रैल, 2007 से लागू होंगे।

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग

